

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 699 / 14-10-4 लखनऊ: दिनांक: 05 अगस्त, 2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:—

साउथ ईस्ट यूपी पॉवर ट्रांसमिशन लि0 द्वारा 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी-उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 1.5364 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 238 वृक्षों के पातन, कन्नौज में प्रभावित 0.32 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 8 वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित 0.8155 हे0 संरक्षित एवं 3.5583 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 398 वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित 0.6813 हे0 संरक्षित एवं 8.7003 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 1502 वृक्षों के पातन अर्थात् 3.3583 हे0 संरक्षित एवं 12.2586 हे0 आरक्षित वनभूमि कुल 15.6118 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2146 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:—
महोदय,

आपका पत्रांक-35 / 11-सी-एफपी / यूपी / ट्रांस / 21539 / 2016 दिनांक-02.07.2025।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, उन्नाव ने अपने कार्यालय पत्रांक-366 / 14-1 दिनांक-31.07.2025 द्वारा कमियों का निराकरण करके निराकरण आख्या/अभिलेख ऑनलाइन प्रेषित किया गया है।

अतः निराकरण आख्या/अभिलेख ऑनलाइन आपको प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीया,

(डा0 रेणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक /
मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक:— / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:— प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, उन्नाव को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 रेणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक /
मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल, उ0प्र0, लखनऊ।